संख्या- 5/2017/642/29-6-2017

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानों के आवंटन में लाटरी निकालने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17-08-2002 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में उचित दर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। शासन के संज्ञान में यह बात लायी जा रही है कि उक्त शासनादेश में लाटरी की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और प्राय: इस बात पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पात्र आवेदनकर्ताओं को लाटरी निकालने की सूचना नहीं मिलती है। अतएव इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक रूप से विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र की उचित दर विक्रेता के दुकानों का चयन लाटरी पद्धति से किये जाने हेतु चयन समिति द्वारा निम्नवत प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनायी जायेगी :-

1- सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर उनमें अर्ह आवेदन पत्रों को छांटकर उनकी अलग सूची तैयार की जाये।

2- चयन समिति की बैठक की तिथि निर्धारित कर उसका प्रकाशन/प्रचार-प्रसार कराया जाये एवं अर्ह आवेदनों को सूचित कर प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखी जाये।

3- बैठक में जिलाधिकारी (चयन समिति का अध्यक्ष) के समक्ष लाटरी निकाली जाये, जिसमें अर्ह आवेदक भी उपस्थित हों । यदि कोई आवेदक उपस्थित न हो तो उसे सूचित करने की रसीद प्रस्तुत कर उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही की जाये।

4- लाटरी निकालने हेतु किसी तटस्थ व्यक्ति को चुना जाये।

5- पूरी कार्यवाही की रिकार्डिंग करायी जाये और कार्यवृत्त जारी किया जाये।

3- कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 5/2017/642(1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।

4- समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य), उ0प्र0।

5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।

6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।